तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी.ए./1458/2012/जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम लाला	नम्बर व तारीख

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

खण्डपीठ (मु0 जयपुर)
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–

श्री हीरालाल सैनी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता प्रत्यर्थी
श्री हिमांशु सोगानी, अधिवक्ता, पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थीगण की ओर से

आदेश

दिनांकः 13–10–2022

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी दिनांक 18–01–2021 पर सुनी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के प्रार्थीगण का तर्क है कि वादीगण ने जगन्नाथ के वारिस के आधार पर यह दावा पेश किया था और जगन्नाथ के वारिस में काना अकेला पुत्र नहीं था बल्कि कल्याण भी था और कल्याण के रामकिशन व रामकिशन के कजोड व कजोड के गुलाब व धर्मसिंह प्रार्थीगण हुए जबकि लाला वगैराह ने तथ्यों को छुपाते हुए यह वाद पेश किया है। चूंकि जगन्नाथ की भूमि का विवाद है और प्रार्थी के भी हित निहित है। आगे यह भी कथन किया कि न्यायालय की डिक्री में वे कुछ नहीं चाहते, केवल पक्षकारों के अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए कार्यवाही में नाम जोडा जाना आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से तर्क किया गया कि वादीगण ने वर्ष 1994 में दावा यह कहते हुए पेश किया था कि जगन्नाथ की भूमि है और चारागाह किस्म राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से चढ गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार विनिश्चय करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2–4–2002 को बिना किसी आधारों के अपील स्वीकार कर ली जबकि दावे में प्लीडिग्स् भी नहीं थी और चारागाह भूमि का किसी भी रूप में किसी को न तो आवंटन किया जा सकता है और ना ही किसी को खातेदार घोषित किया जा सकता है और फिर यदि प्रार्थीगण के हित निहित है तो पृथक से अपील प्रस्तुत करे या इस अपील में भी अपीलान्ट के रूप में संयोजित होने हेतु आवेदन करते परन्तु लेकुना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी.ए./1458/2012/जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम लाला	नम्बर व तारीख

फिलअप करने के लिए अपने भाईयों से मिलकर दुरभिसन्धि के आधार पर रेस्पोडेन्ट बनने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। आदेश 41 नियम 20(2) सीपीसी के तहत पक्षकार नहीं बनाये जा सकते। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में 2014 आरआरटी I पेज 174 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि लाला वगैराह ने हनुमान सहाय व जयपुर विकास प्राधिकरण सरकार के विरूद्ध धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया और वाद के समय वादग्रस्त जमीन चारागाह के रूप में दर्ज थी। बाद विचारण न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया कि वादीगण ने सम्वत् 1987 के बाद से लगातार कब्जे का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है और वादग्रस्त भूमि पर पशु चरने की साक्ष्य वादी गवाह स्वयं स्वीकार करते है और राजस्व रिकार्ड में भूमि सम्वत् 2015 से चारागाह भूमि दर्ज होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते और उपरोक्त निष्कर्ष के साथ वादी का वाद खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए वादी को खातेदार घोषित किया गया है लेकिन प्रार्थीगण न तो वाद में पक्षकार बने, ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बने।

आदेश 41 नियम 20(2) सीपीसी में यह प्रावधान किया गया कि परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात् इस नियम के अधीन कोई प्रत्यर्थी नहीं जोडा जावेगा जब तक कि न्यायालय ऐसे कारणों से लेखबद्ध नहीं करे यानि कि उक्त प्रावधान नकारात्मक है और अपवादिक परिस्थितियों में ही रेस्पोडेन्ट बनाये जाने की अनुज्ञा दी जा सकती है। वादग्रस्त जमीन स्वीकृत रूप से चारागाह के रूप में दर्ज रही है और दावा खारिज होने के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार किया है लेकिन प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दिये बिना और मौजूदा अपील में अपने हकों की मांग किये बिना और डिक्री में कुछ चाहे बिना केवल पक्षकार बनने की प्रार्थना की गयी है जो मात्र शेष रेस्पोडेन्ट से मिलावट व दुरभिसन्धि ही प्रकट होती है।

कोई व्यक्ति वाद में आवश्यक पक्षकार है या नहीं उसका मुख्य बिन्दू यह है कि क्या उस व्यक्ति की उपस्थिति के बिना प्रकरण में अन्तवर्लित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर न्याय, निर्णयन और निपटारा करने के लिए आवश्यक हो तो ही जोडा जावेगा। इस प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता का स्पष्ट तर्क है कि कोर्ट की डिक्री में उन्हें कुछ नहीं चाहिए केवल पक्षकारों के अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए उन्हें रेस्पोडेन्ट बनाया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी.ए./1458/2012/जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम लाला	नम्बर व तारीख

जावे, जो कि आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रार्थी के कथन नहीं आते है। आदेश 1 नियम 10सीपीसी के तहत आवश्यक और उचित पक्षकार का होना और प्रकरण के अन्तिम रूप से निपटाने के लिए उसकी उपस्थिति होना आवश्यक है जबकि इस प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है। वादग्रस्त जमीन चारागाह के रूप में दर्ज रही है और उस पर प्रार्थी ने कोई क्लेम भी नहीं किया है अब यदि वह कोई क्लेम करता है तो स्वतन्त्र रूप से अपने हितों की रक्षा के लिए कार्यवाही करने को स्वतन्त्र है लेकिन मौजूदा अपील में न तो आवश्यक और ना ही उचित पक्षकार है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014 आरआरटी I पेज 174 में भी मण्डल हाजा द्वारा यह निर्णीत किया गया है कि पक्षकार न तो कब्जे में है और ना ही अधिकार होने का दावा कर रहा है तो प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज किया गया है। मौजूदा प्रकरण में भी यही स्थिति है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है और खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 7-11-2022 को मुकाम जयपुर पेश हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टी.ए./1458/2012/जयपुर जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम लाला	नम्बर व तारीख